कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर–492002)

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर दिनांक 18 जून, 2026

कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/आब./दुर्ग/2026/292 दिनांक 16.06.2026 के प्रतिवेदन अनुसार कम्पोजिट मदिरा दुकान अंजोरा, जिला–दुर्ग में आकस्मिक निरीक्षण दौरान प्रथम छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् मल्टीवर्कर गौकरण ठाकुर s/o बुधारू राम ठाकुर द्वारा 24 पाव देशी मदिरा प्लेन शोले (प्रत्येक 180ml) (कुल मात्रा 4.320 ब.ली) खरीदने पर कुल 1920/– रूपये के स्थान पर 2000/– रूपये लिया गया, जो निर्धारित विकय दर से 80/– रू. अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता गौकरण ठाकुर s/o बुधारू राम ठाकुर के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत् उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग छ.ग. के पी–8 क्रमांक 41/2026 दिनांक 13/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

2/ उक्त प्रकरण **श्री हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक** वृत्त प्रभारी उत्तर आंतरिक के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।

civilindia.in

3/ अतः **श्री हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक** को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4/ निलंबन काल में **श्री हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक** का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

18/6/26

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / 4788 नवा रायपुर दिनांक 18 **जून, 2026**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला–कोषालय, जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

18/6/26

आबकारी आयुक्त

छत्तीसगढ़

civilindia.in